-1-

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प सागर

R-1420-III/14

रामदुलारी वेवा दल्पी
निवासी सलवारी पे. मढ़ी जमुनिया तह. देवरी
जिला सागर म.प्र. ......आवेदक

//विरुद्ध//

मध्यप्रदेश शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमाँक अपील 235/अ–21 वर्ष 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 06–02–2014 से परिवेदित होकर निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भूमि खसरा नंबर 264/1, 90/1, 90/2 कुल रकवा 6.48 हेक्टेयर भूमि में से 264/1 में से रकवा 2.970 हेक्टेयर भूमि के विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे निरस्त किये जाने से अपील अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत की जो समय–सीमा के बिन्दु पर ही निरस्त किये जाने से यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि, आवेदिका द्वारा यह आधार लिया था कि वह काफी बृद्ध है कृषि कार्य करने में असमर्थ है उसकी कोई औलाद नहीं उसके पति की मृत्यु 18 वर्ष पूर्व हो चुकी है इस कारण वह मंदिर निर्माण हेतु कुछ दान करना चाहती है और पूजा अर्चना के लिये उचित व्यवस्था कर धर्म लाभ कमाना चाहती है। वह गौढ़ जाती की महिला है इस कारण अनुमति आवश्यक होने से उसने प्रस्तावित कार्यवाही की थी जिसे बिना किसी आधार के निरस्त किया जाकर जो आदेश पारित किया है वह निरस्त योग्य है।

3. यह कि, उसने न्यायालय में विधिवत् शपथपत्र प्रस्तुत कर आवेदन प्रस्तुत किया था एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया था कि आवेदिका द्वारा 7 लाख 4 हजार रूपये में विक्रय करने का इकरार कर लिया गया

XIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R 1420-III/14 ......जिला गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.16.	आवेदक को कई बार सुनवाई अवसर दिये परन्तु कोई उप० नहीं हुआ न ही स्थगन आवेदन [illegible] उप०। अतः प्रकरण आवेदक पैरवी के अभाव में [illegible] किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। अभिलेख वापिस [illegible] जावे। (हस्ताक्षर) सदस्य	

R 2/11